

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अ-2-9/स्था0/09/पदो./सं.लेखा./2014/2730

भोपाल,दिनांक:- 26-6-2014

// आदेश //

निम्नलिखित सहायक ग्रेड-1/मुख्य लिपिक से संभागीय लेखापाल के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 ग्रेड पे में अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुये अन्य आगामी आदेश तक कॉलम क्रमांक-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-


क्र0	कर्मचारी का नाम एवं श्रेणी	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदनाम	पदोन्नति उपरांत पदस्थाना स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री रामचन्द्र तिवारी, सामान्य (लेखा अप्रशिक्षित)	सहायक ग्रेड-1 (मुख्य लिपिक)	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सिंगरौली	संभागीय लेखापाल	कार्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, रीवा
2	श्री हरनाम सिंह, अनुसूचित जनजाति (लेखा अप्रशिक्षित)	सहायक ग्रेड-1 (मुख्य लिपिक)	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, गुना	संभागीय लेखापाल	कार्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, ग्वालियर

उपरोक्त कर्मचारियों को निम्न शर्त के अधीन पदोन्नति दी जाती है :-

- (1) लेखा अप्रशिक्षित सहायक ग्रेड-1/मुख्य लिपिक को संभागीय लेखापाल के पद पर पदोन्नति हेतु मध्यप्रदेश अधिनस्थ कृषि (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 1972 की कडिका-14 Provided that Promotion to the clerical posts in which accountstaining has been made compulsory. The untrained peraons may be promoted if traianed peraons are not available. Untrained peraons so promoted will have to quify in m.p. Accounts Examination Within a period of 2 years from the date of Promotion otherwise they will be liable for reversion के अनुसार कार्यवाही होगी ।
- (2) पदोन्नत कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 07 दिवस में पदोन्नत पद पर उपस्थिति देनी होगी।
- (3) यदि पदोन्नत कर्मचारी समयावधि में पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा एवं कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति दे दी जावेगी ।
- (4) यदि पदोन्नत कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच आदेशित/लम्बित हो तो उन्हें यह आदेश न सौंपा जावे एवं आदेश निष्प्रभावित रहेगा ।

-2-निरंतर


- (5) प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा उपरोक्त पदोन्नतियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम-2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा-1 के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।


संचालक,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म0प्र0, भोपाल

पृ0क्रमांक/अ-2-9/स्था0/09/पदो./सं.लेखा./2014/273 | भोपाल, दिनांक:- 26-6-2014
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
- (2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- (3) संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास _____ संभाग _____
- (4) उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला _____ म0प्र0 ।
- (5) निज सहायक, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- (6) संबंधित श्री/ _____ पदनाम _____ द्वारा
क्रमांक _____
- (7) आदेश नस्ती / व्यक्तिगत नस्ती ।



अपर संचालक (स्थापना)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म0प्र0, भोपाल

